न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी:- हिम्मत सिंह आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर: 114/2016

अनवानी प्रकरण नमुक: 1- दुर्गासिंह पुत्र रतिया जाति जाटव निवासी हरकन्द का पुरा तहसील राजाखेड़ा। ---- वादी

बनाम

1- रेशोदेवी बेवा दुर्गासिंह
2- धुरेलाल
3- शैलेन्द्र सिंह
4- जोगेन्द्र सिंह
पुत्रगण दुर्गासिंह, जाति ठाकुर निवासी हरकन्द का पुरा तह० राजाखेड़ा
5- सन्तो बेवा सामालिया जाति जाटव निवासी हरकन्द का पुरा तह० राजाखेड़ा
6- मुरारी लाल
7- रामवरन
8- श्यामवीर
9- सत्यवीर
पुत्रगण सामालिया जाति जाटव निवासीगण हरकन्द का पुरा तहसील राजाखेड़ा
10- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा- बजरिये लैण्ड रेवेन्यू
---- प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित:- 1 श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव वकील वादी

निर्णय

दिनांक: 10/01/2018

वादी द्वारा यह वाद इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि विवादित आराजी ख०नं० 468 रकबा 0.2 बीघा स्थित ग्राम करासपुरा तहसील राजाखेड़ा मे वादी 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। इसमे 1/4 हिस्सा उसका स्वयं का है तथा 1/4 हिस्सा उसे अपने भाई सुन्दर सिंह द्वारा हक त्याग करके प्राप्त हुआ है दिनांक 01-8-2008 को रिलीज डीड से प्राप्त हुआ है। नामान्तरण

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

रपट नं. 831 दिनांक 19-11-2018 के द्वारा पटवारी हल्का द्वारा दुर्गासिंह वादी को मृत दर्ज कर दिया जबकि वह तो जीवित है। उसी नाम का दुर्गासिंह ठाकुर फौत हुआ था उसके वारिसान प्रति. 5 का नाम नामान्तरकरण में दर्ज कर दिया जो गलत है एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। वादी ने प्रति. 5 ता 9 को सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया है। दावा आदेश से 8 दिन पूर्व जब वादी विवादित आराजी पर कब्जा करने गया तो प्रतिवादी 1 ता 5 ने उसे बताया कि इस पर हमारा नाम दर्ज हो गया है इसलिए इस जमीन पर तुम पैर मत रखना। उसने बेदखल करने की धमकी दी, तब वादी ने अपने इन्द्राज दुरुस्ती हेतु दावा पेश किया है तथा अन्त में दावा डिक्री करने बाबत निवेदन किया।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण काफी समय तक न्यायालय में हाजिर नहीं आये। आज दिनांक 10/1/19 को प्रतिवादी सं. 1 श्री देवी न्यायालय में हाजिर आयी तथा अपना बयान दिया जिसमें उनके द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराया एवं बताया कि विवादित आराजी पर वादी दुर्गासिंह पुत्र रघुवीर जाति जाटव निवासी ईश्कन्द का कब्जा काश्त चला है रहवन से मेरे पति दुर्गासिंह ठाकुर की मृत्यु होने पर दुर्गासिंह जाटव की जमीन पर मेरा एवं मेरे बच्चों का नामान्तरकरण खोल दिया है जो गलत है एवं मुझे पुनः दुर्गासिंह जाटव वादी का नाम दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2071-74, असल रिलीज डीड दिनांक 01-7-2008 एवं नकल जमाबन्दी स. 2063-66 पेश किये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

(3)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा वकील वादी पर मनन किया। नकल जमाबन्दी सं 2063-66 मे विवादित आराजी पर सुन्दर सिंह व दुर्गासिंह पि. रतिया 1/2 के खातेदार दर्ज है। असल रिलीज दिनांक 01-7-2008 से सुन्दर सिंह पुत्र रतिया द्वारा वादी दुर्गासिंह पुत्र रतिया पारवती हरचन्द की पुत्री के हक मे अपना 1/2 हिस्सा त्याग किया जाना साबित होता है। इस प्रकार वादी विवादित आराजी मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार साबित होता है। प्रतिवादी सं 1 रम्भोदेवी के बयान से यह साबित है कि दुर्गासिंह जीवित है जो वादी है। उसके पति दुर्गासिंह की मृत्यु होने पर राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलती से उसका एव उसके पुत्रो का नाम वादी दुर्गासिंह के स्थान पर दर्ज कर दिया है। पुनः वादी का नाम दर्ज करने पर भी उसे कोई आपत्ति नही है। इसलिए हम दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 डिक्री किया जाकर वादी दुर्गासिंह को विवादित आराजी ख.न 468 रकबा 02 बीघा स्थित ग्राम फराखपुर तहसील राजाखेड़ा पर 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं 1 ता 5 के नाम कलमजद किये जाकर उनके स्थान पर वादी दुर्गासिंह के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार राजाखेड़ा को लिखा जावे कि यह गलत नामान्तकरण किसके द्वारा भरा गया एव जांच किया गया उस पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के विरुद्ध चार्जशीट तैयार कर प्रस्तुत करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियम अनुसार होकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो। हुक्म सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक [illegible]/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)